

एच. आई. सी. ओ. प्रोडक्ट्स लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर

22 अप्रैल, 1994

[ए. एम. अहमदी, सी. जे. और एम. एम. पंची, जे.]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944: धारा 3, अनुसूची I- औषधीय सिलिकॉन उत्पाद-डाइमेथिकॉन और सिमेथिकॉन-वर्गीकरण-टैरिफ आइटम 15ए या 68-अवशिष्ट टैरिफ आइटम 68 के तहत आने वाले सामानों पर शुल्क लगाने से छूट की अधिसूचना दिनांक 28.2.82 और 22.6.82 शुल्क से छूट के लाभ की मांग-नहीं की जा सकती क्योंकि सिलिकॉन विशिष्ट मद 15ए के अंतर्गत आता है, मद 68 के अंतर्गत नहीं।

अपीलार्थी डाइमेथिकोन और सिमेथिकोन नामक औषधीय सिलिकॉन उत्पादों का निर्माता है। इसने इन उत्पादों के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अवशिष्ट टैरिफ आइटम 68 के तहत वर्गीकरण सूची दायर की लेकिन सरकारी अधिसूचनाओं के तहत शुल्क से छूट। हालांकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक द्वारा उन्हें मद 15ए के तहत रखने का निर्देश दिया गया था।

अपील पर सहायक कलेक्टर ने एक आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज किया कि उत्पाद टैरिफ आइटम 15ए के तहत वर्गीकृत किए जा सकते हैं। अपील पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर ने सहायक कलेक्टर के आदेश को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उत्पाद टैरिफ आइटम 68 के तहत वर्गीकृत किए जा सकते थे और उन्हें उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी। न्यायाधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी की अपील को अनुमति दी गई और सहायक कलेक्टर के आदेश को बहाल कर दिया गया। न्यायाधिकरण के फैसले से व्यथित होकर अपीलार्थी ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया था कि केवल औद्योगिक सिलिकॉन टैरिफ आइटम 15ए के तहत शामिल है और प्रश्नगत उत्पाद औषधीय सिलिकॉन टैरिफ आइटम 15ए के तहत शामिल नहीं है और यह उत्पाद अवशिष्ट आइटम 68 के तहत आते हैं और "थोक दवाएं" होने के

कारण अधिसूचना दिनांकित 28.2.82 और 22.6.82 सपठित संलग्न अनुसूची व स्पष्टीकरण के तहत उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी।

प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि सिलिकॉन, चाहे वह औषधीय हो या औद्योगिक, सभी रूपों में मद 15 ए के अंतर्गत आता है और इसे वहां विनिर्दिष्ट करने से यह उस आइटम में रह गया है और यह किसी भी रूप में अवशिष्ट आइटम 68 में नहीं आ सकता है और छूट की अधिसूचना लागू होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अपील को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने निर्णीत:

1. भारत में सभी वस्तुओं का निर्माण और उत्पादन उत्पाद शुल्क को आकर्षित करता है। वे निर्दिष्ट वस्तुएँ या अनिर्दिष्ट वस्तुएँ हो सकती हैं। वे माल किसी भी मद 1 से 67 के अंतर्गत आ सकते हैं, या इसके बजाय अवशिष्ट मद 68 में आ सकते हैं जो उस पर देय सममूल्य शुल्क को आकर्षित करते हैं। उन वस्तुओं को उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है क्योंकि अधिसूचना की भाषा इसे एक विशिष्ट वस्तु से बाध्य करती है, न कि सार्वभौमिक रूप से। यह भाषा की स्पष्टता है जो इस मुद्दे को नियंत्रित करती है, जिसमें कोई उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण शामिल नहीं है। इस तरह की व्याख्या करते हुए अधिसूचनाओं के लाभ को अपीलार्थी को सही रूप में अस्वीकार किया गया था। [640 - डी-एफ]

2. मद 68 में होने वाली व्याख्या महत्वपूर्ण है। यह कुंजी है मद 1 से 67 तक के भीतर किसी विशेष मद में माल के विवरण से माल के बहिष्करण की प्रकृति को समझने के लिए स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि ऐसे बहिष्करणों को या तो स्पष्ट बहिष्करण द्वारा, या स्पष्टीकरण द्वारा, या किसी अन्य तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि माल का इस तरह का बहिष्करण माल के विवरण से प्रकट होता है तो बहिष्कृत माल को वह माल माना जाएगा जो उस वस्तु में निर्दिष्ट नहीं है। इस तरह समझे गये प्रावधान द्वारा बहिष्कृत वस्तुओं को उन उद्देश्यों के लिए लिया जाता है जैसे कि उस वस्तु में निर्दिष्ट नहीं किया गया है और आइटम 68 के उद्देश्यों के लिए आइटम 68 के तहत आने वाली वस्तुओं के रूप में माना जाता है जो कहीं और निर्दिष्ट नहीं हैं। अतः उन विनिर्दिष्ट वस्तुओं में से जो किसी विशेष प्रशुल्क वस्तु में माल के विवरण से किसी भी तरीके से बाहर हो जाती हैं, उन वस्तुओं को उस वस्तु में निर्दिष्ट नहीं माना जाएगा और इस प्रकार वे ऐसी

वस्तुएँ बन जाएंगी जो अन्य वस्तुएं कहीं भी निर्दिष्ट नहीं हैं। मद 68 के उद्देश्य के लिए [634 - बी-सी-डी]

3. 28 फरवरी, 1982 की पहली अधिसूचना में, अधिनियम की धारा 3 का विशिष्ट संदर्भ नहीं दिया गया हालांकि यह स्वाभाविक रूप से मौजूद था, दिनांक ०१-११-८२ की अंतिम अधिसूचना में ऐसा संदर्भ है। इस प्रकार जो निहित था उसे स्पष्ट कर दिया गया है। जहां तक प्रत्येक अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित विवरण की वस्तुओं का संबंध है, समग्र रूप से उत्पाद शुल्क लगाना त्याग दिया गया है, यदि वह मद 68 के अंतर्गत आते हैं संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण की वस्तु को छूट देने वाली अधिसूचनाओं की भाषा का यह जोर है। उन अनुसूचियों को अधिनियम से जोड़ने में प्रयुक्त "और" शब्द इसे स्पष्ट करता है। सिद्धांत यह है कि यदि मामला शुल्क में उल्लिखित किसी भी विशिष्ट वस्तु के अंतर्गत या तो स्पष्ट रूप से या छूट के माध्यम से, स्पष्टीकरण के माध्यम से या अन्यथा नहीं आता है, तब स्थान अवशिष्ट वस्तु 68 में पाया जा सकता है। अब यहाँ राजस्व इस बात पर जोर देता है कि सिलिकॉन विशेष रूप से टैरिफ आइटम 15 ए के तहत आता है और चूंकि अपीलार्थी के उत्पादों में सिलिकॉन तत्व है, इसलिए उत्पाद आइटम 15 ए में रह जाते हैं और उन्हें अवशिष्ट आइटम में लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। [636 - बी-सी-डी]

4. दिनांक 22.6.82 की अंतिम अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान किया गया है कि 'थोक दवाओं' का अर्थ कोई भी रासायनिक या जैविक या पादप उत्पाद जो मानव या जानवरों के लिए किसी भी बीमारी के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले औषधीय मानकों के अनुरूप है, और इसका उपयोग किसी भी सूत्रीकरण में या एक घटक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार इस स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि जिन दवाओं को "थोक दवा" कहा जा सकता है, उन्हें केवल फार्माकोपियल मानकों के अनुरूप होने की आवश्यकता होती है और उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट पाने के लिए इस प्रकार या किसी भी फॉर्मूलेशन में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर भी यह बना हुआ है कि क्या इन थोक दवाएं, आैषधि और दवा मध्यवर्ती को शुल्क की वस्तु 15 ए में शामिल नहीं होने पर कहीं भी छूट दी गई है, जहां यह उल्लेखित है कि सिलिकॉन इसके अंतर्गत आता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अधिसूचना में संलग्न अनुसूची की मद 21 में वर्णित औषधीय उत्पाद

इतने व्यापक हैं कि उनमें सिलिकाॅन की सामग्री वाले उत्पादों के साथ-साथ ऐसे उत्पाद भी आते हैं जिनमें एेसी सामग्री नहीं है। यहां केंद्र सरकार के इरादे को समझना होगा कि सभी थोक दवाओं आदि को छूट देते समय क्या प्राप्त करना आशियत है, जब वह मद 68 के तहत आती है। लक्ष्य इतना दूर नहीं है जिसे प्राप्त ना किया जा सके। यह सोचा गया था कि ऐसे रसायन, जैविक या पादप उत्पाद जिन्हें औषधीय मानकों द्वारा मान्यता प्राप्त थी और जो मनुष्यों और जानवरों में रोगों के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए उपयोग करने में सक्षम थे और जिनका उपयोग किसी भी सूत्रीकरण में एक घटक के रूप में किया जाता था, उन्हें उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि मानव और पशु जीवन के लिए इसका लाभकारी उपयोग होता है, लेकिन केवल तभी जब अवशिष्ट मद 68 के तहत उस पर शुल्क लगाया जाना था। [638 - डी-ई; 639-एफ-जी-एच; 640-ए]

ब्रिटिश फार्माकोपियल कोड, 1973,1 जनवरी, 1986 का संयुक्त राज्य अमेरिका फार्माकोपिया और मार्टिंडल, "द एकस्ट्रा फार्माकोपिया", संदर्भित किया गया।

5. अपीलार्थियों के उत्पाद, जिन्हें विशेष रूप से सूचियों में वर्गीकृत किया गया है और जिन्हें अलग से वर्णित किया गया है, उन्हें फार्माकोपिया में दवाओं के रूप में या मध्यवर्ती दवाओं के रूप में सूचित और वर्गीकृत नहीं किया गया है, बल्कि विशेषज्ञों द्वारा अपीलार्थी के उत्पाद प्राथमिक रूप में सिलिकाॅन पाये गये हैं, निदिष्ट ग्रेड के। अतः आैद्योगिक रूप में या आैषधीय रूप में सिलिकाॅन के उपयोग में अंतर करने का कोई आधार नहीं है। एेसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि जिसे आैषधीय उपयोग में लिया जाये, वह अपने आप ही आैद्योगिक अपयोग से बाहर हो जायेगा। [64 बीडी]

राकेश एंटरप्राइजेज व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य, ¼1986½ 25
ईएलटी 906 ¼ बम्बई ½ लागू नहीं होना निर्णीत

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4372/1990

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण,
नई दिल्ली, ए.संख्या ई/1012/86-सी के निर्णय व आदेश दिनांक 29.5.1990
से

एस गणेश, केजेजाँन, सुश्री दीपा दीक्षित मैसर्स स्वरूप जाँन व कम्पनी के लिए अपीलार्थी की आरे से।

एम गौरी शंकर मूर्ति, श्रीमती सुषमा सूरी व हेमन्त शर्मा प्रत्यर्थागण की आरे से।

न्यायालय का निर्णय दिया गया।

न्यायाधिपति पंछी। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, विशेष पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 29.05.1990 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35-एल के तहत यह अपील है, जिससे राजस्व की अपील की अनुमति दी जाती है और अपीलार्थी-कंपनी के पक्ष में कलेक्टर (अपील), बॉम्बे के अपीलीय आदेश को रद्द किया जाता है।

अपीलार्थी का मामला यह है कि खाद्य और आैषधीय प्रशासन, महाराष्ट्र से दिनांक 27.7.82 को प्राप्त दवाआेँ के निर्माण के लाइसेंस के तहत इसने डाइमेथिकोन नामक आैषधीय सिलिकाँन उत्पादों का निर्माण किया, जिनका विवरण डाइमेथिकोन 20, डाइमेथिकोन-350, डाइमेथिकोन-2000, डाइमेथिकोन-1000 और डाइमेथिकोन-100 और सिमेथिकोन है। कहा गया था कि इन उत्पादों का निर्माण फार्मास्यूटिकल मानकों, आवश्यकताआेँ और विशिष्टताआेँ के अनुसार सख्ती से किया गया था। अगस्त 1982 से जनवरी 1983 के बीच अपीलकर्ता ने डाइमेथिकोन और सिमेथिकोन के संबंध में वर्गीकरण सूची दायर की, उन्हें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अविशष्ट टैरिफ आइटम 68 के तहत दवाआेँ और फार्मास्यूटिकल तैयारियों के रूप में बताया, लेकिन 22.2.82 से शुरू होने वाली कुछ सरकारी अधिसूचनाओं के तहत शुल्क से छूट दी गई है, जिसका उल्लेख बाद में किया जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक ने अपीलार्थी को सूचित किया कि इसके विपरीत दवाएं टैरिफ आइटम 15 ए के तहत वर्गीकृत थी और टैरिफ आइटम 68 के तहत नहीं और उक्त उत्पादों के संबंध में अधिसूचनाओं की अंतिम संख्या 234/82 दिनांक 1.11.82 के तहत छूट का लाभ अपीलार्थी को उक्त मामले में उपलब्ध नहीं था। उत्पाद। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के निर्देश के अनुसार, अपीलार्थी ने संशोधित वर्गीकरण दायर किया, लेकिन विरोध के तहत उनके संबंध में इसके बाद अपीलार्थी ने सफलतापूर्वक केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर को उप मुख्य रसायनज्ञ बॉम्बे से एक रिपोर्ट प्राप्त करने के

लिए राजी किया कि क्या उत्पाद औषधीय मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। प्राप्त रिपोर्ट में कहा गया है कि डाइमेथिकोन की किस्में पॉली सिलोजन यौगिक (सिलिकॉन तेल) हैं जिनमें डीफोमिंग गुण होते हैं और सिमेथिकोन सिलिकॉन तेल और सिलिकॉन की जैली जैसी द्रव्यमान संरचना का एक रूप है। इससे पहले 22.11.83 को विभाग द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया था कि क्यों उत्पादों को टैरिफ आइटम 15ए के तहत वर्गीकृत नहीं किया जाये। जवाब में अपीलार्थी ने बताया कि उत्पाद "थोक दवाएं" थीं जैसा कि अधिसूचना संख्या 234/82 दिनांक 1.11.82 में परिभाषित किया गया है। विभाग नरम नहीं पड़ा और बॉम्बे के उप मुख्य रसायनज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अपीलार्थी को दूसरा कारण दर्शाते नोटिस जारी किया गया। अंत में प्रतिस्पर्धा पर, सहायक कलेक्टर ने 4.1.85 पर एक आदेश पारित किया जिसमें अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया गया कि उत्पाद टैरिफ आइटम 15ए के तहत वर्गीकृत किए जा सकते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, बॉम्बे के कलेक्टर ने अपीलार्थी की अपील पर सहायक कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि दोनों उत्पाद दवाएं और फार्मास्यूटिकल तैयारियां थीं और औषधीय मानकों के अनुरूप हैं, जिन्हें टैरिफ आइटम 68 के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है और उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। न्यायाधिकरण के समक्ष राजस्व की आगे की अपील को अनुमति दी गई और सहायक कलेक्टर के आदेश को बहाल कर दिया गया। न्यायाधिकरण का विचार था कि दोनों उत्पाद सिलिकॉन थे और यह मायने नहीं रखता था कि क्या वे दवाओं के अनुरूप थे, इसलिए टैरिफ आइटम 15ए के तहत वर्गीकरण किया गया। अतः यह अपील।

इससे पहले कि हम अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री एस. गणेश द्वारा उठाए गए विविध तर्कों पर विचार करें, हम उपरोक्त अधिनियम की धारा 3 और शुल्क वस्तुओं को शामिल करने वाली इसकी अनुसूची 1 की परस्पर क्रिया की एक व्यापक रूपरेखा देना उचित समझते हैं। धारा 3 में कहा गया है कि भारत में उत्पादित या निर्मित नमक के अलावा सभी उत्पादनीय वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाया जायेगा और भारत के किसी भी हिस्से में निर्मित या भूमि द्वारा आयातित नमक पर पहली अनुसूची में निर्धारित दरों पर शुल्क निर्धारित किया जाएगा। उप-धारा (2) केंद्र सरकार को एक अधिसूचना के माध्यम से उक्त शुल्क लगाने के उद्देश्य से पहली अनुसूची में विशेष रूप से या सामान्य शीर्षकों के तहत सूचीबद्ध किसी भी लेख के टैरिफ मूल्यों को

शुल्क के साथ प्रभार्य के रूप में तय करने की अनुमति देती है। मूल्य निर्धारण और वर्तमान में लागू किसी भी टैरिफ मूल्य में परिवर्तन करने के लिए अधिसूचना। अनुसूची 1 में तीन कॉलम हैं, जिनमें पहले में आइटम नंबर हैं, दूसरे में माल का विवरण है और तीसरे में शुल्क की दर है। मद 1 से 67 तक की एक त्वरित नज़र से पता चलता है कि प्रत्येक मद के तहत कुछ वस्तुओं को शुल्क लगाने के लिए निर्दिष्ट किया गया है और उन वस्तुओं के लिए जिन्हें इस प्रकार निर्दिष्ट नहीं किया गया है या जिन्हें छोड़ दिया गया है उन पर मद संख्या 68 आकर्षित होता है, बाद वाले को अवशिष्ट वस्तु के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का नियम 8, जैसा कि तब था, केंद्र सरकार को समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अनुसार, ऐसी वस्तुओं पर पूरे या शुल्क के किसी भी हिस्से से उत्पाद शुल्क लगाये जाने की छूट देने का अधिकार देता है। नियम 8 के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से इस तरह की छूट प्रभार्य को दूर नहीं करती है या शुल्क के प्रभार को मिटाने का प्रभाव नहीं डालती है। छूट अधिसूचना का उद्देश्य उचित शुल्क छोड़ना और निर्माता या खरीददार, या निर्माता के माध्यम से उपभोक्ता को जैसा भी मामला हो कुछ लाभ प्रदान करना है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस अवधि से हम संदर्भित हैं, वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क और शुल्क अधिनियम, 1985 के लागू होने से पहले की अवधि से संबंधित है, जो 1 मार्च, 1986 को लागू हुआ था।

उस नमक के मामले को छोड़कर, जिसके साथ हम वर्तमान में संदर्भित नहीं हैं, अधिनियम की धारा 3 भारत में उत्पादित या निर्मित सभी वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रह करने को अधिकृत करती है। यदि माल मद 1 से 67 निहित एक या अन्य वस्तु में निर्दिष्ट है, तो देय शुल्क संबंधित आइटम के लिए संदर्भित है। यदि कोई वस्तु आइटम 1 से 67 में से किसी में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो अवशिष्ट वस्तु 68 के तहत उन शेष वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। जब उपरोक्त नियमों के नियम 8 के तहत छूट अधिसूचना द्वारा किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु को छूट मिलती है, किसी विशेष मद के तहत शुल्क के भुगतान से इसका तात्पर्य केवल यह है कि उन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क का आरोपण और संग्रह उक्त मद के तहत होता, लेकिन छूट के लिए। अपीलार्थी का मामला यह है कि इसने उपरोक्त उत्पादों को थोक दवाओं के रूप में अधिसूचनाओं द्वारा छूट

दी गई है जिसका संदर्भ वर्तमान में किया जाएगा। यह अनुमान लगाया जाता है कि लेकिन छूट के लिए उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता था।

अब राजस्व और अपीलार्थी के बीच विवाद के आयाम बिल्कुल विपरीत हैं। अपीलार्थी के विद्वान वकील श्री एस. गणेश ने पहली बार आग्रह किया कि हालांकि सिलिकॉन टैरिफ आइटम 15 ए में निर्दिष्ट एक उत्पाद था, लेकिन उसमें शामिल किया जाने वाला उत्पाद औद्योगिक सिलिकॉन था, और चूंकि विचाराधीन उत्पाद इसके विपरीत डाइमेथिकोन और सिमेथिकोन नाम वाले औषधीय सिलिकॉन थे, जो टैरिफ आइटम 15 ए के अंतर्गत नहीं आते थे। इनके अनुसरण में यह आग्रह किया गया कि आैषधीय सिलिकाॅन अविशिष्ट मद 68 में आता है जिस पर कम यथा मूल्य शुल्क लगता है और वहां अपना स्थान पाये जाने के कारण अधिसूचनाआेँ के तहत उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। दूसरी ओर राजस्व का मामला यह है कि सिलिकॉन, चाहे वह औषधीय हो या औद्योगिक कहा जाये, सभी रूपों में टैरिफ आइटम 15 ए में शामिल किया गया था और वहां निर्दिष्ट होने के कारण उस आइटम में रह गया और इस प्रकार किसी भी स्थिति में यह अवशिष्ट मद 68 में नहीं आ सका। साथ ही यह आग्रह किया गया कि जब विचाराधीन उत्पाद कभी भी अवशिष्ट मद 68 में नहीं आ सकते तो उत्पादों पर छूट अधिसूचनायें लागू होने का सवाल ही नहीं उठता। इस प्रकार जो प्रश्न मुख्य रूप से विचारणीय है वह यह है कि हम छूट अधिसूचनाआेँ की व्याख्या कैसे करें, लेकिन ऐसा करने से पहले हम टैरिफ आइटम 15 ए और 68 पर ध्यान देते हैं, जो एक के बाद एक पुनरूत्पादित हैं:

मद क्रमांक की दर	शुल्क विवरण	शुल्क
1	2	3

15 ए. कृत्रिम या सिंथेटिक रेजिन और प्लास्टिक सामग्री; और नीचे निर्दिष्ट अन्य सामग्री और लेख:-

(1) संघनन, पाँलीकंडेंसेशन और पाँलीएडिशन उत्पाद, चाहे 50 %

संशोधित या पाँलीमराइज्ड हों या नहीं, और चाहे रेखिक एंड-

हों या नहीं (उदाहरण के लिए, फोनो-फास्ट, अमीनो-प्लास्ट, वैलोरम

एल्केड, पाँलीएलिल एस्टर और अन्य असंतृप्त पाँलिएस्टर,

सिलिकोन); पोलीमराइजेशन और सह पोलीमराइजेशन

उत्पाद (उदाहरण के लिए, पाँलीथीइथाइलीन पाँलीटेट्राहेलोइथिलीन,

पाँलीआइसोब्युटिलीन, पाँलीस्टीरिन, पाँलीविनाइल क्लोराइड,

पाँलीविनाइल एसीटेट, पाँलीविनाइल क्लोरोएसेटेट और अन्य

पाँलीविनाइल डेरिवेटिव, पाँलीएक्रिलिक और पाँलीमेथाक्रिलिक

डेरिवेटिव, कूमरोनइंडिन रेजिन); पुनर्जीवित सेलूलोज़; सेलूलोज़

नाइट्रेट, सेलूलोज़ एसीटेट और अन्य सेलूलोज़ एस्टर, सेलूलोज़

ईथर; और सेलूलोज़ के अन्य रासायनिक व्युत्पन्न, प्लास्टिकीकृत

या नहीं (उदाहरण के लिए कोलोडियन, सेल्युलॉइड); वल्केनाइड फाइबर;

कठोर प्रोटीन (उदाहरण के लिए, कठोर कैसिइन और कठोर जिलेटिन);

संलयन द्वारा संशोधित प्राकृतिक रेजिन (गम को चलाना); प्राकृतिक

रेजिन या रेसिनिक एसिड (एस्टर गम) के एस्टरीकरण द्वारा प्राप्त

कृत्रिम रेजिन; प्राकृतिक रबर के रासायनिक व्युत्पन्न (उदाहरण के

लिए, क्लोरिनेटेड रबर, रबर हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीकृत रबर चक्रीकृत

रबर); अन्य उच्च पॉलिमर, कृत्रिम रेजिन और कृत्रिम प्लास्टिक सामग्री,

जिसमें एल्गिनिक एसिड, इसके लवण और एस्टर, लिनोक्सिन शामिल हैं।

(2) उप-वस्तु (1) में वर्णित सामग्री के लेख, अर्थात:-बोर्ड, शीटिंग
50 %

शीट और फिल्म, चाहे वे लैकरयुक्त हों या धातुयुक्त या लैमिनेटेड
एंड

हों या नहीं; फ्लैट ट्यूबिंग बिछाएं जिसमें में कोई कपड़ा सामग्री न
हो। वैलोरम

(3) प्लोयुरेथेन फोम
75%

एंड

वैलोरम

(4) पॉलीयुरेथीन फोम से बनी वस्तुएं
75

एंड

वैलोरम

स्पष्टीकरण I- उप-मद (1) में शामिल नहीं है:

(i) पॉलीयुरेथेन फोम;

(ii) कृत्रिम मोम;

(iii) स्टार्च (डेक्सट्रिन और संशोधित स्टार्च के अन्य रूप सहित।

-स्पष्टीकरण II-उप-मद (1) में, "संक्षेपण, पॉली कंडेनसेशन,
पॉलीएडिशन, पोलिमराइजेशन और कॉपोलिमराइजेशन उत्पादों" को केवल
रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पादित एक प्रकार की वस्तुओं पर लागू किया
जाना है:-

(अ) कृत्रिम प्लास्टिक, जिसमें कृत्रिम रेजिन भी शामिल है।

(ब) सिलिकॉन;

(स) रिसोल्स, तरल पॉलीआइसोब्युटिलीन और इसी तरह के कृत्रिम पॉलीकंडेनसेशन या पॉलीमराइजेशन उत्पाद।

स्पष्टीकरण III उप-मद (1) को केवल निम्नलिखित रूपों में सामग्री पर लागू करने के लिए लिया जाना है:-

(ए) तरल या पेस्टी (पायस, फैंलाव और समाधान सहित);

(बी) ब्लॉक, गांठ, पाउडर (मोल्डिंग पाउडर सहित), कणिकाएं, फलैंक और समान थोक रूप;

(सी) कचरा और कबाड़

मद सं। 68. - अन्य सभी वस्तु, एन. ई. एस.

मद क्रमांक	शुल्क विवरण	शुल्क की दर
68.	अन्य सभी वस्तुएं, जो कहीं और निर्दिष्ट नहीं हैं,	8%

लेकिन इसके अलावा: विज्ञापन- मूल्यमान

(अ) सभी प्रकार की अल्कोहल, जिसमें मानव उपभोग के

लिए अल्कोहिलिक शराब भी शामिल है;

(ब) अफीम, भारतीय गांजा और अन्य नशीली दवाएं और

नशीले पदार्थ; और

(स) औषधीय और शौचालय तैयारी (उत्पाद शुल्क) अधिनियम,

1955 (1955 का 16) की धारा 2 (सी) में परिभाषित शुल्क योग्य सामान।

स्पष्टीकरण-इस मद के प्रयोजनों के लिए, जिन वस्तुओं को इस अनुसूची में किसी पूर्ववर्ती मद में संदर्भित किया गया है, एेसे माल को उस मद में माल के विवरण से बाहर करने के प्रयोजनों के लिए (चाहे ऐसा अपवर्जन ऐसी मद के स्पष्टीकरण के माध्यम से हो या विवरण में या किसी अन्य तरीके से अपवर्जन के शब्दों द्वारा) उस वस्तु में निर्दिष्ट नहीं किया गया सामान माना जायेगा।

मद 68 में होने वाली व्याख्या महत्वपूर्ण है। यह आइटम 1 से 67 के भीतर किसी विशेष आइटम में वस्तुओं के विवरण से वस्तुओं के अपवर्जन की प्रकृति को समझने की कुंजी है। स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि ऐसे अपवर्जन को या तो स्पष्ट अपवर्जन द्वारा, या स्पष्टीकरण द्वारा, या किसी अन्य तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। एक बार जब माल का ऐसा अपवर्जन माल के विवरण से प्रकट होता है, तो अपवर्जित माल को उस मद में निर्दिष्ट नहीं किया गया माल माना जायेगा। इस प्रावधान के अनुसार अपवर्जित वस्तुओं को उन उद्देश्यों के लिए लिया जाता है जैसे कि उस वस्तु में निर्दिष्ट नहीं किया गया है और आइटम 68 के उद्देश्यों के लिए आइटम 68 के तहत आने वाली वस्तुओं के रूप में माना जाता है जो कहीं और निर्दिष्ट नहीं हैं। अतः उन विनिर्दिष्ट वस्तुओं में से जो किसी विशेष प्रशुल्क वस्तु में माल के विवरण से किसी भी तरीके से बाहर हो जाती हैं, उन वस्तुओं को उस वस्तु में निर्दिष्ट नहीं माना जाएगा और इस प्रकार वे ऐसी वस्तुएँ बन जाएंगी जो उस वस्तु के लिए कहीं और निर्दिष्ट नहीं हैं। (मद 68 के उद्देश्य के लिए)

अब आगे बढ़ने के लिए, आइए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अधिसूचनाओं के माध्यम से छूटों पर ध्यान दें। पहला अधिसूचना संख्या 104/82-सी. ई. है, दिनांक 28.2.82, जो इस प्रकार है:-

" कुछ निर्दिष्ट वस्तुओं को छूट (केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग व बीमा) भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 55/75- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 1 मार्च, 1975 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार इसके द्वारा संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण के सामानों को और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद संख्या 68 के अंतर्गत आने वाली वस्तु को छूट देती है।

इससे जुड़ी अनुसूची में क्रम संख्या 1 से 34 तक सामान का विवरण दिया गया है। अनुसूची में प्रासंगिक प्रविष्टि 21 इस प्रकार है:

"21. सभी आैषधियां, आैषधियां, फार्मास्यूटिकल्स और आैषधि-मध्यवर्ती जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।

फिर अधिसूचना संख्या 197/82-सीई. दिनांक 22.6.82 द्वारा, केंद्र सरकार ने समान शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 फरवरी, 1982 की पिछली अधिसूचना में इस प्रकार संशोधन किया:-

"इस अधिसूचना में कहा गया है:-

(अ) अनुसूची में क्रम संख्या 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियां के लिए, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

" 21. सभी थोक आैषधियां, दवाएं और आैषधी-मध्यवर्ती जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हैं",

(ब) परंतुक के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"स्पष्टीकरण: क्रम संख्या 21 में, थोक दवाओं का मतलब किसी भी रासायनिक या जैविक या पादप उत्पाद से है, जो फार्माकोपियल मानकों के अनुरूप है, जिसका उपयोग मनुष्यों या जानवरों में बीमारियों के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए किया जाता है, और किसी भी गठन में इस तरह या एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है।"

अंततः अधिसूचना संख्या 234/82-सी. ई. दिनांक 1.11.82 द्वारा, केंद्र सरकार ने फिर से 28 फरवरी, 1982 की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए निम्नानुसार प्रावधान किया:-

"केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए (केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 28 फरवरी, 1982), केंद्र सरकार द्वारा संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण के सामान और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची के आइटम नंबर 68 के तहत आने वाली वस्तुओं को छूट देती है, उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से।

प्रविष्टि 1 से 41 वाली संलग्न अनुसूची में प्रासंगिक प्रविष्टि क्रमांक 21 है।

21. सभी थोक दवाएं, आषधियां और दवा-मध्यवर्ती जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हैं।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना में, "बल्क ड्रग्स" का अर्थ है कोई भी रासायनिक, जैविक या पादप उत्पाद, जो फार्माकोपियल मानकों के अनुरूप है, जिसका उपयोग मनुष्यों या जानवरों में बीमारियों के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए किया जाता है, और ऐसे या किसी सूत्रीकरण में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है

28 फरवरी, 1982 की पहली अधिसूचना में, अधिनियम की धारा 3 का विशिष्ट संदर्भ नहीं दिया गया हालांकि यह स्वाभाविक रूप से मौजूद था, दिनांक 01.11.82 की अंतिम अधिसूचना में ऐसा संदर्भ है। इस प्रकार जो निहित था उसे स्पष्ट कर दिया गया है। जहां तक प्रत्येक अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित विवरण की वस्तुओं का संबंध है, तो उन पर समग्र रूप से उत्पाद शुल्क लगाना त्याग दिया गया है, यदि वह मद 68 के अंतर्गत आते हैं संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण की वस्तु को छूट देने वाली अधिसूचनाओं की भाषा का यह जोर है। उन अनुसूचियों को अधिनियम से जोड़ने में प्रयुक्त "और" शब्द इसे स्पष्ट करता है।

सिद्धांत यह है कि यदि मामला शुल्क में उल्लिखित किसी भी विशिष्ट वस्तु के अंतर्गत या तो स्पष्ट रूप से या छूट के माध्यम से, स्पष्टीकरण के माध्यम से या अन्यथा नहीं आता है, तब स्थान अवशिष्ट वस्तु 68 में पाया जा सकता है। अब यहाँ राजस्व इस बात पर जोर देता है कि सिलिकॉन विशेष रूप से टैरिफ आइटम 15ए के तहत आता है और चूंकि अपीलार्थी के उत्पादों में सिलिकॉन तत्व है, इसलिए उत्पाद आइटम 15ए में रह जाते हैं और उन्हें अवशिष्ट आइटम में लाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

राजस्व के तर्क को टैरिफ आइटम 14ई की सहायता से और अधिक बल दिया गया, जिसका प्रभाव निम्नलिखित है:

वस्तु संख्या 14ई-पेटेंट या संपत्ति चिकित्सा

मद क्रमांक

शुल्क विवरण

शुल्क की दर

14 ई. पेटेंट या स्वामित्व वाली दवाइयां जिनमें एल्कोहल, अफीम, 12.5%

भारतीय भांग या अन्य नशीली दवाएं या उन दवाओं के एड

अलावा अन्य नशीले पदार्थ शामिल नहीं हैं जो विशेष रूप से वैलोरम

आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध या होम्योपैथिक हैं।

स्पष्टीकरण I- 'पेटेंट या स्वामित्व वाली दवाओं का अर्थ है कि कोई भी दवा या औषधीय तैयारी, किसी भी रूप में आंतरिक या बाहरी उपचार में उपयोग के लिए या मनुष्यों या जानवरों में बीमारियों की रोकथाम के लिए जो या तो स्वयं या उसके कंटेनर या दोनों पर होती है, एक नाम जो केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचित फार्माकोपिया, फॉर्मलरी या अन्य प्रकाशनों में एक मोनोग्राफ में निदिष्ट नहीं है या जो एक ब्रांड नाम है, यानी एक नाम या एक पंजीकृत व्यापार चिह्न है, व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 (43 का 1958), या कोई अन्य चिह्न जैसे प्रतीक मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार किए गए शब्द या कोई भी लेखन जो उस दवा के संबंध में संकेत देने या दिखाने के उद्देश्यों से उपयोग किया जाता है। दवा और किसी ऐसे व्यक्ति के बीच व्यापार के दौरान संबंध का संकेत मिलता है जिसके पास मालिक के रूप में या अन्यथा उस व्यक्ति की पहचान के संकेत के साथ या उसके बिना नाम या चिह्न का उपयोग करने का अधिकार है।

स्पष्टीकरण II- 'शराब', 'अफीम', 'भारतीय गांजा', 'नार्कोटिक ड्रग्स और नशीले पदार्थों के क्रमशः वही अर्थ हैं जो उन्हें आषधीय और शौचालय तैयारी (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 2 में दिये गये हैं।

पहली अनुसूची की मद सं. 14ई के स्पष्टीकरण के अनुसरण में - केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद संख्या 14ई के स्पष्टीकरण और भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (32 ऑफ 1934) की पहली अनुसूची की मद संख्या 28ए के स्पष्टीकरण के अनुसरण में केंद्र सरकार उक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित फार्माकोपिया, फार्मूलरी और अन्य प्रकाशनों के सभी संस्करणों को अधिसूचित करती है, अर्थात्:

1. भारतीय फार्माकोपिया, 2. अंतरराष्ट्रीय फार्माकोपिया, 3. भारत की राष्ट्रीय फार्मूलरी, 4. ब्रिटिश फार्माकोपिया, 5. ब्रिटिश फार्मास्युटिकल कोडेक्स, 6. ब्रिटिश पशु चिकित्सा कोडेक्स, 7. यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, 8. संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फार्मूलरी, 9. संयुक्त राज्य अमेरिका की डेंटल फार्मूलरी, और 10. यूएसएसआर की राज्य फार्माकोपिया।

राजस्व के अनुसार, यदि छूट प्राप्त वस्तुएं थोक दवाएं, आैषधियां और दवाएं मध्यवर्ती हैं जो कहीं और निर्दिष्ट नहीं हैं तो उन्हें उचित रूप से अवशिष्ट वस्तु 68 के अंतर्गत आना होगा ताकि उस शुल्क को 8 प्रतिशत यथामूल्य में बदला दिया जा सके और अधिसूचना के बल पर भुगतान से छूट दी जा सके, केवल तभी जब उन वस्तुओं में सिलिकॉन तत्व न हो। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि विचाराधीन उत्पाद न तो पेटेंट थे और न ही स्वामित्व वाली दवाएं, ताकि आइटम 14ई को आकर्षित किया जा सके, जिसमें कुछ घटनाओं में फार्माकोपिया, फार्मूलरी और अन्य प्रकाशनों का स्पष्टीकरण के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। यह भी जोड़ा गया कि अपीलकर्ता द्वारा आइटम 14ई के संबंध में नीचे के न्यायाधिकरणों में कभी भी प्रार्थना नहीं की गयी और बहस को बढ़ाया नहीं जा सकता है। राजस्व की इस आपत्ति पर, हालांकि श्री गणेश ने उस दिशा में प्रयास किया था, हम सोचते हैं कि आइटम 14ई की भागीदारी को पूरी तरह से छोड़ देना और विवाद को एक तरफ आइटम 15ए और दूसरी तरफ मद 68 व अधिसूचनाओं तक सीमित रखना उचित होगा जैसा विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष था।

अंतिम अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के स्पष्टीकरण में यह प्रावधान किया गया है कि 'थोक दवाओं' का अर्थ कोई भी रासायनिक या जैविक या पादप उत्पाद जो मानव या जानवरों के लिए किसी भी बीमारी के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले औषधीय मानकों के अनुरूप है, और इसका उपयोग किसी भी सूत्रीकरण में या एक

घटक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार इस स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि जिन दवाओं को "थोक दवा" कहा जा सकता है, उन्हें केवल फार्माकोपियल मानकों के अनुरूप होने की आवश्यकता होती है और उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट पाने के लिए इस प्रकार या किसी भी फॉर्मलेशन में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। विभाग के समक्ष अपीलकर्ताओं का मामला यह था कि इसके उत्पाद थोक दवाएं थीं और औषधीय मानकों के थे जैसा कि उनके नामों से पता चलता है, जो दुनिया के प्रमुख दवा उत्पादक देशों के फार्माकोपिया में हैं। वर्ष 1973 के ब्रिटिश फार्माकोपियल कोडेक्स और विशेष रूप से निम्नलिखित का संदर्भ दिया गया था:

"डाइमेथिकोन का उपयोग औद्योगिक बैरियर क्रीम में त्वचा को जलन पैदा करने वाले पदार्थों से बचाने के लिए किया जाता है। 10 से 30 प्रतिशत डाइमेथिकोन युक्त क्रीम, लोशन और मलहम का उपयोग शैया प्रण की रोकथाम और त्वचा को मूत्र या मल निर्वहन से होने वाले आघात से बचाने के लिए किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रेक्ट की रेडियोग्राफिक जांच से पहले पेट की गैस के निष्कासन में सहायता के लिए डाइमेथिकोन का उपयोग एंटासिड्स के साथ संयोजन में भी किया जाता है।

हमारा ध्यान 1 जनवरी, 1985 के संयुक्त राज्य फार्माकोपिया और विशेष रूप से निम्नलिखित पैराग्राफ पर भी आकर्षित किया गया था:

1820 के फार्माकोपिया की प्रस्तावना का कुछ भाग इस तरह है:

" यह फार्माकोपिया का उद्देश्य है कि वह उन पदार्थों में से चुनें जिनमें औषधीय शक्ति है, जिनकी उपयोगिता पूरी तरह से स्थापित और सबसे अच्छी तरह से समझी गयी है; और उनसे तैयारी और संरचनाएं बनाना, जिसमें उनकी शक्तियों का सबसे अधिक लाभ उठाया जा सके। इसे उन लेखों को सुविधाजनक और निश्चित नामों से अलग करना चाहिए, जैसे कि चिकित्सकों और औषधालयों के संबंधों में परेशानी या अनिश्चितता को रोका जा सके।

फार्माकोपिया का मूल्य उस निष्ठा पर निर्भर करता है जिसके साथ यह उस दिन के चिकित्सा ज्ञान की सर्वोत्तम स्थिति के अनुरूप है। इसकी उपयोगिता निर्भर करती है; चिकित्सा समुदाय और जनता से इसे मिलने वाली मंजूरी और जिस हद तक यह नियंत्रित करती है उन लोगों की भाषा और व्यवहार को जिनके उपयोग के लिए यह आशियत है।"

हमारा ध्यान मार्टिंडेल, "द एक्स्ट्रा, फार्माकोपिया" की ओर भी आकर्षित किया गया, जिसमें सिमेथिकॉन टैबलेट और डाइमेथिकॉन इमल्शन काे मानव और पशु चिकित्सा की तैयारियों की दवाओं के रूप में वर्णित किया गया है। डाइमेथिकोन और सिमेथिकोन के फार्माकोपिया संदर्भों को "थोक दवाओं, औषधियां और दवा मध्यवर्ती" अभिव्यक्ति के भीतर उत्पादों को गिरने देने वाले स्पष्टीकरण को संतुष्ट करने के रूप में आग्रह किया जा सकता है। फिर भी यह बना हुआ है कि क्या इन थोक दवाएं, औषधि और दवा मध्यवर्ती को शुल्क की वस्तु 15 ए में शामिल नहीं होने पर कहीं भी छूट दी गई है, जहां यह उल्लेखित है कि सिलिकॉन इसके अंतर्गत आता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अधिसूचना में संलग्न अनुसूची की मद 21 में वर्णित औषधीय उत्पाद इतने व्यापक हैं कि उनमें सिलिकॉन की सामग्री वाले उत्पादों के साथ-साथ ऐसे उत्पाद भी आते हैं जिनमें ऐसी सामग्री नहीं है। यहां केंद्र सरकार के इरादे को समझना होगा कि सभी थोक दवाओं आदि को छूट देते समय क्या प्राप्त करना आश्रित है, जब वह मद 68 के तहत आती है। लक्ष्य इतना दूर नहीं है जिसे प्राप्त ना किया जा सके। यह सोचा गया था कि ऐसे रसायन, जैविक या पादप उत्पाद जिन्हें औषधीय मानकों द्वारा मान्यता प्राप्त थी और जो मनुष्यों और जानवरों में रोगों के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए उपयोग करने में सक्षम थे और जिनका उपयोग किसी भी सूत्रीकरण में एक घटक के रूप में किया जाता था, उन्हें उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि मानव और पशु जीवन के लिए इसका लाभकारी उपयोग होता है, लेकिन केवल तभी जब अवशिष्ट मद 68 के तहत उस पर शुल्क लगाया जाना था। सिलिकॉन सामग्री वाले उत्पादों के साथ-साथ ऐसी कोई सामग्री नहीं वाले उत्पादों को भी शामिल करना। यहां केंद्र सरकार की मंशा को समझना होगा कि सभी थोक दवाओं को छूट देते समय उसका क्या उद्देश्य है आदि जब मद 68 के अंतर्गत आते हैं। वस्तु खोजने के लिए बहुत दूर नहीं है। यह सोचा गया था कि उन रसायनों, जैविक या पादप उत्पादों में से जो औषधीय मानकों द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं और जो मनुष्यों और जानवरों में रोगों के निदान, उपचार, शमन या रोकथाम के लिए उपयोग करने में सक्षम हैं और जिनका उपयोग किसी भी सूत्रीकरण में एक घटक के रूप में किया जाता है, उन्हें उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि इसके लाभ हैं। हालांकि श्री गणेश ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से समर्थन मांगा था। राकेश एंटरप्राइजेज बनाम भारत संघ में (1986), 25 एक्साइज लॉ

टाइम्स 906 बॉम्बे, जिसमें यह निर्धारित करने के लिए विभिन्न देशों के फार्माकोपिया का उपयोग किया गया था कि फिनोल एक दवा थी, या किसी भी घटना में एक दवा मध्यवर्ती थी, इसलिए ताकि शेष मद 68 में समान मूल्य की संबंधित छूट अधिसूचना को आकर्षित किया जा सके। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि दी गई स्थिति में विद्वान एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष तथ्यों और परिस्थितियों में संभव हो सकता, लेकिन एक सामान्य नियम के रूप में नहीं कि जो कुछ भी आैषधीय उपयोग में लाया जाता है वह स्वचालित रूप से आैद्योगिक उपयोग से बाहर हो जाता है। अपीलार्थियों के उत्पाद, जिन्हें विशेष रूप से सूचियों में वर्गीकृत किया गया है और जिन्हें अलग से वर्णित किया गया है, उन्हें फार्माकोपिया में दवाओं के रूप में या मध्यवर्ती दवाओं के रूप में सूचित और वर्गीकृत नहीं किया गया है, बल्कि विशेषज्ञों द्वारा अपीलार्थी के उत्पाद प्राथमिक रूप में सिलिकाॅन पाये गये हैं, निर्दिष्ट ग्रेड के। अतः आैद्योगिक रूप में या आैषधीय रूप में सिलिकाॅन के उपयोग में अंतर करने का कोई आधार नहीं है।

यह पहले से ही ध्यान दिया गया है कि भारत में सभी वस्तुओं का निर्माण और उत्पादन उत्पाद शुल्क को आकर्षित करता है। वे निर्दिष्ट वस्तुएँ या अनिर्दिष्ट वस्तुएँ हो सकती हैं। वे माल किसी भी मद 1 से 67 के अंतर्गत आ सकते हैं, या इसके बजाय अवशिष्ट मद 68 में आ सकते हैं जो उस पर देय सममूल्य शुल्क को आकर्षित करते हैं। उन वस्तुओं को उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है क्योंकि अधिसूचना की भाषा इसे एक विशिष्ट वस्तु से बाध्य करती है, न कि सार्वभौमिक रूप से। यह भाषा की स्पष्टता है जो इस मुद्दे को नियंत्रित करती है, जिसमें कोई उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण शामिल नहीं है। इस तरह की व्याख्या करते हुए अधिसूचनाओं के लाभ को अपीलार्थी को सही रूप में अस्वीकार किया गया था।

ऊपर दिए गए दृष्टिकोण के लिए, हम इस प्रश्न में जाना आवश्यक नहीं समझते हैं कि क्या एक उत्पाद के रूप में सिलिकाॅन आइटम 15ए के अंतर्गत आएगा। जब कि यह सीमा शुल्क में शीर्षक संख्या 39.01/06 में प्रविष्टि के साथ उत्पाद शुल्क की वस्तु 15ए की कथित समानता पर या इस पहलू पर दो शुल्कों की कथित पहचान में जाने के लिए रालयुक्त हो या लोचदार हो। हम सिलिकाॅन तेल या उसके उत्पादों के औद्योगिक उपयोग के संदर्भ में बार द्वारा प्रस्तुत न्यायाधिकरण के निर्णयों की श्रृंखला पर टिप्पणी करने के लिए भी बाध्य महसूस नहीं करते हैं क्योंकि वर्तमान में मामला

सिलिकाॅन के आैषधीय उपयोग का मामला है। हम किसी विशिष्ट वस्तु और अवशिष्ट वस्तु से संबंधित उत्पाद शुल्क में प्रतिस्पर्धी प्रविष्टियों के संबंध में बार द्वारा प्रस्तुत उदाहरणात्मक कानूनी मामले पर चर्चा करने के लिए भी बाध्य महसूस नहीं करते हैं। हम समान रूप से भेदभाव के सवाल पर जाने के लिए बाध्य नहीं हैं, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने उठाया था और दलील दी थी कि विभाग के भीतर कुछ क्षेत्रीय कलेक्टरों ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण को अपनाया था। जिस तरह से हमने अधिसूचनाओं और उनके अनुप्रयोगों के दायरे और महत्व की व्याख्या की है, उसके कारण ये सभी पहलू अकादमिक हो गए हैं।

उपरोक्त कारणों से, हम न्यायाधिकरण के फैसले और आदेश की पुष्टि करते हुए इस अपील को खारिज करते हैं। कोई लागत नहीं।

अपील खारिज

नोट:- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ऋचा सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होना और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।